462

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेशा राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक ७ दिसम्बर २०१८-अग्रहायण १६, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,

(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम,

(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2018

क्रमांक एफ 15-12-2018-सात-सा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उनके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिये कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :— तहसील-मोह<u>खे</u>ड़

क्रमांक

ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नं.

1) 495(17

 मूल ग्राम-डोडिया, प. ह. नं.-10, नवीन ग्राम-(मजरा टोला), रिजींढाना.

अनूसूची

जिला-छिन्दवाड़ा अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत

435

जिंदन के लिय प्राधिक अधिकारी का नाम (3)

अधीक्षक, भू-अभिलेख, छिन्दवाड़ा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सबसेना, उपसचिव.